

2020 का विधेयक संख्यांक 84

[दि एप्रोप्रिएशन (न० 2) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि
में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय
और विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2020 है ।
- 5 2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग अड़तालीस खरब, आठ अरब, इक्यासी करोड़, छियासठ लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संदाय किए जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।
- 10 3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की संचित निधि में से 48,08,81,66,00,000 रुपए का जारी किया जाना ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1 अनुदान का संख्यांक	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹0	₹0	₹0
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 4,00,000	...	4,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 2,00,000	...	2,00,000
3	परमाणु ऊर्जा	राजस्व 5,47,35,00,000	...	5,47,35,00,000
		पूंजी 1,80,29,00,000	...	1,80,29,00,000
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	राजस्व 4,00,000	...	4,00,000
5	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व 1,06,53,00,000	...	1,06,53,00,000
6	उर्वरक विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
7	भेषजीय विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
		पूंजी 1,68,12,00,000	...	1,68,12,00,000
8	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
9	कोयला मंत्रालय	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
10	वाणिज्य विभाग	राजस्व 1,50,97,00,000	47,00,000	1,51,44,00,000
		पूंजी 3,44,97,00,000	...	3,44,97,00,000
11	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	राजस्व 3,00,000	...	3,00,000
		पूंजी 2,70,50,00,000	...	2,70,50,00,000
12	डाक विभाग	राजस्व 13,03,87,00,000	...	13,03,87,00,000
13	दूरसंचार विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
14	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
16	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व 15,65,00,000	...	15,65,00,000
17	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	...	2,00,000
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	राजस्व 22,18,81,00,000	7,00,000	22,18,88,00,000
		पूंजी 2,54,20,00,000	5,00,00,000	2,59,20,00,000
19	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व 19,97,67,00,000	2,33,00,000	20,00,00,00,000
20	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी 69,88,45,00,000	11,55,00,000	70,00,00,00,000
21	रक्षा पेंशन	राजस्व 57,27,53,00,000	3,34,00,000	57,30,87,00,000
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व 1,00,000	...	1,00,000
		पूंजी 1,00,000	...	1,00,000
23	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	...	2,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
24	इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
		पूंजी	1,00,000	...	1,00,000
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
27	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	5,78,33,00,000	...	5,78,33,00,000
		पूंजी	75,36,20,00,000	...	75,36,20,00,000
28	व्यय विभाग	राजस्व	42,33,00,000	...	42,33,00,000
29	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	3,73,83,00,000	...	3,73,83,00,000
		पूंजी	57,70,00,00,000	...	57,70,00,00,000
31	राजस्व विभाग	राजस्व	4,00,30,77,00,000	...	4,00,30,77,00,000
		पूंजी	8,27,00,000	...	8,27,00,000
32	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	1,81,96,00,000	...	1,81,96,00,000
		पूंजी	2,00,000	...	2,00,000
34	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	88,00,00,000	...	88,00,00,000
	भारित—ऋण का प्रतिदाय	पूंजी	...	36,32,01,91,00,000	36,32,01,91,00,000
37	पेंशन	राजस्व	19,95,00,00,000	5,00,00,000	20,00,00,00,000
38	राज्यों को अंतरण	राजस्व	...	22,43,66,00,000	22,43,66,00,000
		पूंजी	...	52,76,72,00,000	52,76,72,00,000
39	मत्स्य विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
40	पशुपालन और डेयरी विभाग	राजस्व	18,65,00,000	...	18,65,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	5,00,000	...	5,00,000
		पूंजी	55,01,00,000	...	55,01,00,000
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	50,01,00,000	...	50,01,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	33,98,85,00,000	...	33,98,85,00,000
		पूंजी	9,28,00,000	...	9,28,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	96,42,00,000	...	96,42,00,000
48	पुलिस	राजस्व	29,03,15,00,000	...	29,03,15,00,000
		पूंजी	1,00,000	...	1,00,000
49	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	2,16,15,00,000	...	2,16,15,00,000
		पूंजी	2,00,000	...	2,00,000
50	चंडीगढ़	राजस्व	75,08,00,000	...	75,08,00,000
		पूंजी	21,00,00,000	...	21,00,00,000
51	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	3,35,00,000	...	3,35,00,000
52	दमण और दीव	राजस्व	2,03,00,00,000	...	2,03,00,00,000
		पूंजी	4,00,000	...	4,00,000

1	2	3	रु	रु	रु
53	लक्षद्वीप	राजस्व	39,27,00,000	...	39,27,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
56	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	1,00,000	4,00,000
		पूँजी	79,44,00,000	...	79,44,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	50,12,03,00,000	...	50,12,03,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	3,00,000	...	3,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
60	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	पूँजी	2,00,000	...	2,00,000
61	पेय जल और स्वच्छता विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
62	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
63	विधि और न्याय मंत्रालय	राजस्व	1,83,27,00,000	...	1,83,27,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
	भारित-भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	...	6,51,00,000	6,51,00,000
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
68	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
		पूँजी	60,00,00,000	...	60,00,00,000
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
71	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	23,23,00,000	...	23,23,00,000
72	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	66,41,00,000	...	66,41,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
	भारित-केंद्रीय सतर्कता आयोग	राजस्व	...	1,10,00,000	1,10,00,000
74	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	3,93,77,00,000	...	3,93,77,00,000
75	योजना मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
76	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	5,78,00,00,000	...	5,78,00,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
79	राज्य सभा	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
82	रेल मंत्रालय	पूँजी	1,00,000	8,17,49,00,000	8,17,50,00,000
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
		पूँजी	21,67,64,00,000	...	21,67,64,00,000
84	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	1,60,03,64,00,000	...	1,60,03,64,00,000
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
87	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
88	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
89	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	1,15,19,00,000	...	1,15,19,00,000
		पूँजी	33,00,00,000	...	33,00,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
91	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
		पूंजी	1,00,000	...	1,00,000
92	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
93	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	...	1,00,000
94	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
96	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
		पूंजी	8,79,00,000	17,00,00,000	25,79,00,000
97	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	...	1,00,000
98	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,22,33,00,000	1,37,87,00,000	2,60,20,00,000
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	...	2,00,000
100	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राजस्व	3,25,00,00,000	...	3,25,00,00,000
		पूंजी	10,00,00,000	...	10,00,00,000
योग :			10,91,51,63,00,000	37,17,30,03,00,000	48,08,81,66,00,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो भारत की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और लोक सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जाता है ।

निर्मला सीतारामण